रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

सं. भा.आ.प.-34(41)/2008-मेडि./54469.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा नियमावली (संशोधन), 2009 भाग–I" कहा जाए।

   (ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में निम्नलिखित **परिवर्धन/ संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन** दर्शाए जाएंगे:—

3. 'आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला – पात्रता मानदण्ड' शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II, खण्ड 4 में उप–खण्ड 2 (च) के पश्चात् निम्नलिखित **जोड़ा जाएगा** :—

'3. वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 3% सीटें, 50% से 70% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

बशर्ते कि यदि 50% से 70% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, इस 3% कोटा में कोई सीट खाली रह जाती है तो इस 3% कोटा में खाली रह गई इस प्रकार की सीट को, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में उन्हें जोड़े जाने से पहले, 40% से 50% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरा जाएगा ।

पुनः बशर्ते कि यह संपूर्ण कार्य प्रत्येक आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान द्वारा, दाखिलों के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जाएगा और किसी भी स्थिति में 30 सितंबर के पश्चात एम बी बी एस पाठ्यक्रम में कोई दाखिला नहीं किया जाएगा ।'

4. खण्ड 5 (5) (ii) के परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक **जोड़ा जाएगा** : –

'बशर्ते कि ऊपर खंड 4 (3) के अनुसार निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के दाखिले के लिए पात्रता संबंधी मानदण्ड, एम बी बी एस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अर्हक परीक्षा और प्रतियोगितात्मक प्रवेश परीक्षा में एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50% के बजाय 45% अंक होगा ।'

ले. कर्नल (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/08]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः 'स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997' भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के गजट के भाग–III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे परिषद की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008 तथा 22.12.2008 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2009

No. MCI-34(41)/2008-Med./54469.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2009 Part – I."

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. In Chapter II, Clause 4 under the heading "Admission to the Medical Course – Eligibility Criteria", the following **shall be added** after sub-clause 2(f): -

"3. 3% seats of the annual sanctioned intake capacity shall be filled up by candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% to 50% - before they are included in the annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that this entire exercise shall be completed by each medical college / institution as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS course after 30th of September."

4. The following proviso **shall be added** before the proviso to Clause 5 (5) (ii):-

"Provided that the eligibility criteria for admission to persons with locomotory disability of lower limbs in terms of Clause 4(3) above – will be a minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying examination and competitive entrance examination for admission in MBBS course."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/Exty./100/08]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India Notification dated the 4th March, 1997 and amended vide Council notification dated 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008 & 22.12.2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

सं. भा.आ.प.-18(1)/2008-मेडि./54470.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा नियमावली (संशोधन), 2009 भाग–I" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित **परिवर्धन/ संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन** दर्शाए जाएंगे:—

3. 'स्नातकोत्तर छात्रों का चयन' शीर्षक के अंतर्गत खंड 9 में उप–खंड 9 (I) के पश्चात् निम्नलिखित **जोड़ा जाएगा** :—

'I (क). वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 3% सीटें, 50% से 70% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

बशर्ते कि यदि 50% से 70% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, इस 3% कोटा में कोई सीट खाली रह जाती है तो इस 3% कोटा में खाली रह गई इस प्रकार की सीट को, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में उन्हें जोड़े जाने से पहले, 40% से 50% के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरा जाएगा ।

पुनः बशर्ते कि यह संपूर्ण कार्य प्रत्येक आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान द्वारा, दाखिलों के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जाएगा और किसी भी स्थिति में 31 मई के पश्चात एम डी बी एस पाठ्यक्रम में कोई दाखिला नहीं किया जाएगा ।'

4. खण्ड 9 (2) (iv) के पहले परंतुक की चौथी पंक्ति में 'सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : –

'ऊपर खंड 9 (1) (क) में यथा विनिर्धारित तरीके से निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 45% ।'

ले. कर्नल (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/08]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000' दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के गजट के भाग– III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005, 23.03.2006, तथा 20.10.2008 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2009

No. MCI-18(1)/2008-Med./54470.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely:-

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2009 Part-I".

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. In Clause 9 under the heading "SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS", the following **shall be added** after sub-clause 9(1): -

   "1(a). 3% seats of the annual sanctioned intake capacity shall be filled up by candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% to 50% - before they are included in the annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that this entire exercise shall be completed by each medical college / institution as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the Postgraduate Medical course after 31st of May."

4. The following **shall be added** after the words "general category candidates" in the fourth line of first proviso to Clause 9 (2) (iv):-

", 45% for persons with locomotory disability of lower limbs in the same manner as stipulated in Clause 9(1)(a) above."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/Exty./100/08]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended vide MCI notification dated 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005, 23.03.2006 & 20.10.2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.